पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. एफ 23-79-2009-पैंतीस.—पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के पशुपालन विभाग के समस्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में उनकी शक्तियों का प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

No. F-23-79-2009-XXXV.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 3 of the prevention and Control of infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009), the State Government hereby appoints all Veterinary Assistant Surgeons/Veterinary Extension Officers of Animal Husbandry Department of the State to be Veterinary Officers, who shall exercise their powers and discharge their duties with the local limits of their jurisdiction.

क्र. एफ 23-79-2009-पैंतीस.—पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों को निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के पशुपालन विभाग के समस्त उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाओं को इस अधिनियम के अधीन, सक्षम अधिकारी के रूप में किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन, करने हेतु प्राधिकृत करती है, जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, ऐसी शक्तियों का परीक्षण तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे.

No. F-23-79-2009-XXXV.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the prevention and Control of infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009), the State Government hereby authorize all Deputy Directors Veterinary Services Animal Husbandry Department of the State to exercise any power or discharge any duty as a competent officer, under this Act, who shall examine such powers and discharge such duties with in the local limits of their jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज गोयल, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ-3-125-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-125-2010-बत्तीस-दिनांक 22 जुलाई 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित मुरैना विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवरी मुरैना	सर्वे क्र. 1280	3.198 में से 1.714 हेक्टेयर	कृषि	औद्योगिक
		कुल योग . .	1.714 हेक्टयर		

(2) उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.